न्यायालय बईजलास ज्ञानमल खटीक आर.ए.एस. सहायक कलक्टर(उपखंड अधिकारी) बेगूँ
जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :– 147/2015

1. भूरालाल पिता भैरूलाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
2. भवानीलाल पिता भैरूलाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. माधू पिता परमानन्द जी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
2. श्रीमा भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
3. श्री राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधी जिला कलेक्टर ,चितौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री सी.पी.शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :– 24.1.2017

निर्णय वाद पत्र अ0धा0 188 आर.टी.एक्ट

वादीगण द्वारा वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा मण्डावरी प0ह0 मण्डावरी में वादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजीयात स्थित है जिसके खाता संख्या 421 आराजी संख्या 1292 रकबा 0.0490हैक्टर एवं आराजी संख्या 1295 रकबा 0.3240 हैक्टर भूमि है । वर्णित आराजी पर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादी का कोई अधिकार नहीं फिर आए दिन प्रतिवादी वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है । वादीगण द्वारा आराजीयात पर कृषि की फसल बोई दिनांक 3.9.2015 को प्रतिवादी ने उक्त आराजी पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना चाहा, प्रतिवादी उक्त भूमि को जबरन छीनना चाहता है ,प्रतिवादी को वादीगण द्वारा ऐसा करने से रोका गया तो उसके द्वारा मारपीट भी की गई ।

वादीगण द्वारा उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि की पत्थरगढी भी भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा करवाई गई तब भी प्रतिवादी ने गाली गलोच की तथा धमकी दी है कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से झूठे मुकदमें में फंसा देगा । वादीगण को मानसिक आघात लग रहा है । वाद कारण दिनांक 3.9.2015 को उत्पन्न होकर प्रतिरोज वर्तमान है । यदि प्रतिवादी द्वारा अबरन अनाधिकार अनूसूचित जाति का डर दिखाकर वादीगण की उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर वादीगण कोक बेदखल कर दिया तो इससे वादीगण को भारी आर्थिक एवं कानूनी क्षति का सामना करना पडेगा । वादीगण अपने कब्जे काश्त की आराजीयात से महरूम हो जावेगें । इसलिए प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु यह वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है ।

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान आप से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि –

1. कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी वाद वर्णित वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजीयात पर वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा एवं दखल न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य नौकर या ऐजेन्ट आदि के माध्यम से उत्पन्न करावें तथा प्रतिवादी वादीगण से जबरन अनाधिकार भूमि का कब्जा छीनने का प्रयास न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें ।
2. कि यदि दोराने विचारण वाद पत्र प्रतिवादी द्वारा वादीगण की उक्त भूमि पर से जबरन वादीगण का कब्जा छीन लिया जाता है तो कब्जा पुनः वादी को दिलाये जाने हेतु आदेशात्मक आदेश की अज्ञप्ति पक्ष वादीगण प्रदान कराई जावें ।
3. कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ पक्ष वादीगण के पक्ष में प्रदान करवाया जावे एवं खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादीगण का उक्त वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण प्रकरण में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिए गए तथा प्रकरण में एक तरफा साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी भूरालाल पिता भैरूलाल धाकड का लिया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 ,नक्शाट्रेस प्रदर्श– 2 ,सत्यप्रति

प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट प्रदर्श–3 ,रिपोर्ट भू0अ0नि0 प्रदर्श– 4, पर्चामौका पत्थरगढी प्रदर्श–5 करते हुए वादी ने अपने बयान पूर्ण कराये मामला एक तरफा का होने से वादी की साक्ष्य पर जिरह नहीं की गई । पत्रावली में वादी साक्ष्य पूर्ण होने से अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस सुनी गई जिन्होने वाद वर्णित भूमि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होने से प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन वाद पत्र अनुसार किया।

पत्रावली में एक तरफा बहस सुने जाने के पश्चात प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया , प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी से पाया कि वादीगण मौजा मण्डावरी की आराजी संख्या 314,315,318,336,1292,,1295,2055/336 कीता– 7 कुल रकबा 1.8950 हैक्टर भूमि के वादीगण खातेदार है । इस प्रकार वादीगण आराजी संख्या 1292 व 1295 के खातेदार है तथा प्रदर्श– 3 अनुसार वादीगण द्वारा इसी न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर. एक्ट का प्रतिवादी के विरूद्ध भी प्रस्तुत कया जो स्वीकार किया गया , प्रदर्श–4 व प्रदर्श– 5 अनुसार वादीगण के खातेदारी में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी मौके पर की गई जिसमें वादी भवानीलाल एवं प्रतिवादी भूरालाल के हस्ताक्षर अंकित है । प्रतिवादी वादीगण की कृषि आराजीयात की पत्थरगढी उनके समक्ष कराये जाने के उपरान्त भी वादीगण की उक्त आराजी में जबरन दखल करते है जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है । वादीगण का वाद पत्र प्रस्तुत दस्तावेज से स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है ।

अतः वाद वादीगण अ0धा0 188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है दावा डिक्री किया जाता है । प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजीयात मौजा मण्डावरी प0ह0 मण्डावरी की आराजी संख्या 1292 रकबा 0.0490हैक्टर एवं आराजी संख्या 1295 रकबा 0.3240 हैक्टर भूमि में वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा एवं दखल न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य नौकर या ऐजेन्ट आदि के माध्यम से उत्पन्न करावें तथा प्रतिवादी वादीगण से जबरन अनाधिकार भूमि का कब्जा छीनने का प्रयास न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें ।

निर्णय आज दिनांक 24.1.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(ज्ञानमल खटीक)
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी),बेगूँ